जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mhj/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 4 मार्च 2021

क्या हमारे लालची राजनेता और भूमाफिया कायम रखने देंगे जयपुर को विश्व धरोहर का दर्जा?

मिशन हेरिटेज

भाग-1

क्या है 410 मनीराम जी की कोठी का सच??

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सहज शपथ-पत्र लिया, डीएलबी से पूर्व अनुमति लेना भी नहीं समझा मुनासिब

हाईकोर्ट के आदेश दरकिनार: दो साल बाद खोली अवैध इमारत की सील

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलीभगत कर अवैध निर्माण की सील खोल दी। 410, मनीराम की कोठी करीब दो वर्ष से सीज थी। अक्टूबर, 2020 में इस इमारत को सीलमुक्त करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग में अपील की गई थी। जबकि नवम्बर में ही स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने अपील मंजूर करते हुए प्रकरण मैरिट के आधार पर निस्तारित करने के हैरिटेज नगर निगम को निर्देश दिए थे। तत्कालीन किशनपोल जोन उपायुक्त रामकिशोर मीणा ने एक शपथ-पत्र लेकर सील खोल दी। जबकि, इस प्रकरण में स्वायत्त शासन विभाग को सुनवाई का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद जोन उपायुक्त ने भी सील खोलने से पहले स्वायत्त शासन विभाग से अनुमति नहीं ली और अपने स्तर पर ही सील खोलने का निर्णय कर दिया।

निगम की भूमिका पर भी सवाल

स्वायत्त शासन विभाग में जब सुनवाई शुरू हुई तो निगम की ओर से कोई वकील ही नहीं पहुंचा नतीजतन अपीलार्थी वकील को ही सुना गया। उसके बाद डीएलबी ने एकतरफा फैसला सुना दिया।

ऐतिहासिक इमारत ध्वस्त कर खड़ी की परेशानी की इमारत

सीजर मुक्ति के आदेश करते समय किशनपोल जोन उपायुक्त कार्यालय की ओर से चार शर्तें रखी गईं। इसमें सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने, व्यावसायिक उपयोग के लिए लगाए गए शटर हटाकर निगम को सूचित करने, उच्च न्यायालय में विचाराधीन स्योमोटो प्रकरण के आदेशों की पालना करने के अलावा उक्त भवन को आवासीय उपयोग में ही लेने के निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया। साथ ही शर्तों की पालना नहीं करने पर इस अवैध निर्माण को सीज कर देगा। जबकि मौके पर कई दुकानें खुल गई हैं और बेचने का काम चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यहां पर पार्किंग की दिक्कत खड़ी हो जाएगी।

पहले डीएलबी ने किया था मना

इसी प्रकरण में एक अन्य निर्माणकर्ता ने सील खुलवाने के लिए डीएलबी में अपील की थी। तत्कालीन निदेशक उज्ज्वल राठौड़ ने मना कर दिया था। उन्होंने टिप्पणी में लिखा था कि यह निर्माण उच्च न्यायालय के आदेश में संलग्न सूची प्रथम में अंकित अवैध भवनों की सूची में आता है। इस पर तीन माह में कार्रवाई की जानी है। किसी भी अधीनस्थ सिविल न्यायालय को स्थगन आदेश पारित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है।

की जाएगी उचित कार्रवाई

जिन शर्तों के आधार पर सील खोली थी, उनकी पालना नहीं की जा रही है। निर्माणकर्ता ने निगम कार्रवाई न करे, इस पर स्टे ले लिया है। स्टे हटाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना-पत्र कर दिया है। जो भी उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।

-सोहनराम चौधरी, उपायुक्त किशनपोल जोन

मनीरामजी की कोठी: यूडीएच मंत्री ने सील खोलने पर जताई आपत्ति, डीएलबी ने निगम से मांगा स्पष्टीकरण

सील किस आधार पर खुली, निगम से तीन दिन में मांगी जानकारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. हल्दियों का रास्ता स्थित मनीरामजी की कोठी में सील खोले जाने के मामले में हैरिटेज नगर निगम के अधिकारी फंस गए हैं। बुधवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को इस प्रकरण में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएलबी की ओर से निगम उपायुक्त को स्पष्टीकरण मांग लिया। इसके लिए उन्हें तीन दिन का समय दिया है। हालांकि, डीएलबी और निगम के अधिकारी इस पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। एक विधायक की अनुशंसा पर फाइल चली और सील भी उसी आधार पर खोली गई।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर।

राजस्थान पत्रिका में खबर छपने के बाद डीएलबी की ओर से एक पत्र हैरिटेज नगर निगम को भेजा गया। इसमें निगम उपायुक्त से पूछा गया है कि सील किस आधार पर खोली गई। जब मामला कोर्ट में था तो उसकी जानकारी स्वायत्त शासन विभाग को क्यों नहीं दी गई? सील खोलने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई?

निगम प्रतिनिधि रहे गायब

- डीएलबी में जब सील खोलने की अपील की गई तो छह, 11 और 19 नवंबर, 2020 को निगम के न तो उपायुक्त पहुंचे और न ही कोई वकील आया। ऐसे में 19 नवम्बर को ही यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी की उपस्थिति में, सिविल न्यायालय के वर्तमान प्रभावशील आदेशों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन में आदेश पारित करें।
- 17 दिसम्बर को उपायुक्त किशनपोल कार्यालय से शर्तों के साथ सीजर मुक्ति के आदेश हो जाते हैं। शपथ पत्र की एक भी शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है।

ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता

प्रकरण में किशनपोल जोन उपायुक्त रामकिशोर मीणा की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला होने के बाद उन्होंने गलत तरीके से सील खोली। उनको इसकी जानकारी डीएलबी को देनी थी। अपीलार्थी ने निचली अदालत में दावा पेश किया। 19 जनवरी को निगम को पाबंद किया गया कि 410, मनीराम की कोठी पर किसी भी प्रकार की सीज और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करें। इससे दो दिन पहले 17 जनवरी को किशनपोल जोन उपायुक्त की जिम्मेदारी रामकिशोर मीणा से लेकर सोहनराम चौधरी को दे दी जाती है।

इस विश्व विरासत को बचाने के लिए राजस्थान पत्रिका ने मुहीम छेड़ रखी है, इसी मुहीम के तहत प्रकाशित खबरे|राजस्थान पत्रिका को इस विशेष मुहीम के लिए साधुवाद|

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जयपुर चारदीवारी में स्थित 410 मनीरामजी की कोठी,जोहरी बाजार का है|इस कोठी का 300 साल पुराना इतिहास रहा है,इसी कोठी के नाम पर यहाँ के रास्ते को मनीरामजी की कोठी के नाम से भी जाना जाता है परन्तु यह इस कोठी का दुर्भाग्य है कि जयपुर की अन्य धरोहरों के साथ साथ इस कोठी पर भी भू-माफियाओं की नजर लग गयी जिसके चलते 2200 गज की इस विशालकाय कोठी के तीन हिस्सों पर भूमाफियाओं ने तीन व्यवसायिक काम्प्लेक्स(एक हिस्से को वर्ष 1994 में ही व्यवसायिक करवा लिया गया था,परन्तु अन्य दो हिस्से निगम से स्वीकृत नहीं है) भी बना लिए|यही नहीं भूमाफियाओं द्वारा इस कोठी में स्थित 300 साल पुराने पीपल के वृक्ष को भी निगम के अधिकारीयों से मिलीभगत करके कटवा दिया|इस कोठी के हेरिटेज लुक को बचाने के लिए वर्ष 2015 से सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पाराशर के नेतृत्व में आवाज उठाई जा रही थी जिसके चलते इस कोठी के अग्र भाग में बने दो अवैध कॉम्प्लेक्सों को सील कर दिया गया था|परन्तु लालची भूमाफियाओं,भ्रष्ट अफसरों और राजनेताओं की तिकड़ी इनमे से एक कोम्प्लेक्स की सील खुलवाने में सफल रही|

अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं

जयपुर। निगम अधिकारियों की मिलीभगत से शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर समिति चेयरमैनों की लिखित शिकायत भी बेअसर हो रही है। जोन उपायुक्त शिकायत पर कार्रवाई करने की अपेक्षा क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं। लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने पर समिति चेयरमैनों ने अब निगम आयुक्त को जोन उपायुक्तों और कर्मचारियों की लिखित में शिकायत की है।

मामला परकोटे में विभिन्न जगहों पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने को लेकर है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज पर्यटन विकास, सांस्कृतिक उत्सव एवं जन कल्याण समिति की अध्यक्ष कुसुम यादव ने अब निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। यादव ने बताया कि समिति मनिराम जी की कोठी में , केजीबी का रास्ता के दूसरे चौराहा, विमल चैंबर व आरआर फैशन कमला नेहरू के पास, घी वालों के रास्ता में दड़ा चौराहा, धाभाई जी का खुर्रा , कावंटियों की पीपली, रामगंज बाजार में नग्गा मस्जिद के पास और रामगंज में निवाई महंत का रास्ता के पास हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए के लिए निगम अधिकारियों को कई बार पत्र लिख चुकी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यादव ने सोमवार को वापस से निगम आयुक्त को तीसरी बार पत्र लिखा है।

जयपुर चारदीवारी को यूनिस्को ने दिया है विश्व विरासत का दर्जा|

आपको बता दे कि जयपुर के हेरिटेज लुक को बचाने के लिए यूनिस्को ने दिया है वर्ष 2020 में विश्व विरासत का दर्जाहै जिसके तहत पुरानी बनी सभी अवैध इमारतों को तोडा जाना है और बिना अनुमति चारदीवारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण,तोड़फोड़ पर रोक है|

सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल पाराशर ने बुलंद की इस कोठी पर बने 4 काम्प्लेक्स के विरुद्ध आवाज,हुआ प्राणघातक हमला

जयपुर चारदीवारी के हेरिटेज लुक को बचाने के लिए इसी क्षेत्र के जवाहरात व्यवसायी श्री अनिल पाराशर कई वर्षो से सक्रीय है|उन्होंने ही शहर की अन्य धरोहरों के साथ साथ इस कोठी को बचाने की मुहीम छेडी हुई थी,उनके इस प्रयास को नाकाम करने के लिए स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा उन पर जानलेवा हमला भी करवाया था वो तो गनीमत रही कि उनके प्राण बच गए नहीं तो सुपारी-किलरों ने उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी,लगभग 6 महीने के कठिन संघर्ष के बाद जब वह ठीक होकर आये तो उन्होंने आते ही पुनः इस हवेली को बचाने के लिए निगम के भ्रष्ट अधिकारीयों के विरुद्ध लडाई छेड़ दी|आज उन्ही की आवाज को राजस्थान पत्रिका ने बुलंद किया है|

हमलावर निकले सुपारी किलर

एक माह पहले किया था सर्राफा व्यवासायी की हत्या का प्रयास

मौके पर भीड़ जुटने से भाग छूटे थे आरोपी

माणक चौक थाना पुलिस ने दबोचा

सिटी रिपोर्टर

जयपुर ▷ 18 दिसंबर

माणक चौक थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने सर्राफा व्यवसायी की हत्या के लिए सुपारी लेना कबूल किया है। हत्या के मकसद से बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी पर धारदार हथियार से हमला किया था, लेकिन मौके पर भीड़ जुट जाने से वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें मौके से भागना पड़ा। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डीसीपी (नॉर्थ) अंशुमन भोमिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अजहर कुरैशी, यासीन और शहनवाज उर्फ सानू शामिल है। तीनों बदमाश जयपुर निवासी है, जिन्हे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने 21 नवंबर को शास्त्री नगर थाना इलाके में स्थित सर्किल के पास अनिल पाराशर पर हत्या के मकसद से धारदार हथियार से हमला किया था। शोर सुनकर मौके पर लोग इकट्ठे हो गए तो आरोपी भाग छूटे। इस मामले में पीड़ित के भाई राजेश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि पूर्व में भी अनिल पर कुछ युवकों ने कोर्ट में संपति से संबंधित मुकदमा वापस लेने और स्टे नहीं हटाने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

यूं आए आरोपी पकड़ में

मामले की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों को चिह्नित करने के लिए शहर के थानों का रिकॉर्ड खंगाला। पुलिस ने शक के आधार पर 40 से अधिक अपराधियों से पूछताछ भी की। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास एवं विवादित संपत्ति के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड देखकर वारदात में शामिल संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शास्त्री नगर प्रकरण के चिह्नित आरोपी जोगावरसिंह गेट स्थित पेट्रोल पंप के पास पार्क में बैठे हुए है। इस सूचना पर माणक चौक थाना पुलिस ने दबिश देकर वहां से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने सुपारी लेकर व्यवसायी पर हमला करना स्वीकार कर लिया।

जवाहरातकर्मी पर जानलेवा हमले के आरोपी गिरफ्तार

जयपुर| शास्त्रीनगर में ग्रेवाल अस्पताल के पास 21 नवंबर को सरियों व पाइपों से हमला कर जवाहरातकर्मी अनिल पाराशर के दोनों पांव तोड़ने वाले तीन आरोपियों को माणक चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई राजेश ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक सप्ताह पहले जांच माणक चौक पुलिस को सौंपी गई थी। डीसीपी (नॉर्थ) अंशुमन भौमियां ने बताया कि जोरावरसिंह गेट इलाके से आरोपी मोहम्मद अजहर कुरैशी, यासिन और शहनवाज उर्फ सानू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि अनिल की हत्या के लिए तारक सलीम, अहमद सईद, विमल चंद ढढ्ढा, नरेंद्र करनावट, रामचंद्र, सतीश अग्रवाल, गोवर्धन खंडेलवाल ने 15 लाख रु. की सुपारी दी थी। ये

DECEMBER 6, 2020

Uniform colour code for Walled City residential & biz complexes

Plan Has Been Submitted To Unesco

shoebkhan@times...

Jaipur heritage project a model for S Asia: Unesco

Bhagirath

...and its residents," said R K Vijayvargia, chief town planner, Jaipur.

Keeping the overall aesthetics in mind, the size of the signages on buildings have to be different on the basis of floors. The signages on the second floor have to be slightly bigger in size as compared with the ground floor and those inside the corridors. The rules for the temples also have a uniform pattern. The document says that the name of the temple to be scribbled on the white background and signage should have borders and names written with Jaipur polish. The size of signages dealing with navigation is the biggest among them all to ensure that it serves its purpose.

"It also includes finer deta-...

glass panes with dark brown frames. The bazaar facing mounted units and terrace encroachments will be removed too," added Vijayvargia. The body has prepared a list of 600 structures which will undergo a change under the project.

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: A first of its k... ...cio-economic survey... ...ring over 1 lakh hou... in Jaipur's Walled Ci... ...dergoing for the worl... ...ge site aiming to re... track the two-cent... business practices,... ...res, literature, cust... ...als and ceremonies...

The experts say... ...ses may be 1 lakh b... ...ral houses, more t... ...mily is residing... opportunity to d... much larger samp...

Explaining th... ...ce of the scheme... ...vargia, chief to... says that to coll... ...ve data on the se... of the famili...

Sites. "Old ... that Jaipur was placed for... Karkhana (Business) flourished until the early twentieth century. Due to modernization and industrial expansion, several of these practices have gone missing from...

...rian Zahida... tracking the old business practices has become a trend in Europe and South American nations and seen as part of cultural identity. "These...

...The survey... started and due to pandemic, it is being done in a staggered manner.

यूनेस्को तैयार करवा रहा स्पेशल हेरिटेज प्लान, हर घर -बाजार का किया जा रहा सर्वे

दक्षिण एशिया के ऐतिहासिक शहरों के लिए मॉडल बनेगा हमारा 'जैपर'

पहले चरण की करीब 600 इमारतों की सूची हो जाएगी अगले माह बनकर तैयार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल राजधानी का परकोटा क्षेत्र अब दक्षिण एशिया के देशों के लिए मॉडल बनेगा। यूनेस्को की ओर से जैपर (अब जयपुर) का स्पेशल हैरिटेज प्लान तैयार करवाया जा रहा है। इसी के तहत 293 वर्ष पुराने शहर की इमारतों से लेकर बाजारों का सर्वे फरवरी में शुरू किया गया...

इन पर दिया जा रहा ध्यान

ऐसी इमारतें जो संरक्षित श्रेणी में नहीं आती, लेकिन इनकी बनावट ऐतिहासिक है। किसी इमारत में पेंटिंग वर्षों पुरानी है और उसको आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। झरोखे भी दशकों पुराने हैं। इस काम को भारतीय संस्कृति निधि की ओर से किया जा रहा है। संस्था से जुड़े लोगों की मानें तो चौकड़ी मोदीखाना से इसकी शुरुआत हुई थी

अधिकारियों की मानें तो सर्वे...

भविष्य पर भी है नजर

■ हैरिटेज संरक्षण को बढ़ावा दिया तो फायदा ही फायदा

हैरिटेज हवेलियों व इमारतों का संरक्षण करने पर नगरीय विकास कर में विशेष छूट का है प्रावधान।

इन प्रोजेक्ट्स को पर्यटन प्रोजेक्ट मानते हुए टैक्स, मनोरंजन कर से लेकर सेल्स टैक्स में भी छूट का प्रावधान सरकार ने रखा है।

■ इन दिक्कतों को दूर करना जरूरी

ऐतिहासिक स्थलों पर अतिक्रमण हैं। इनको हटाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं।

परकोटे में पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। जो घोषणाएं हुईं वो कागजों से बाहर नहीं आ पाई हैं।

ड्रोन सर्वे में अतिक्रमण और मूलस्वरूप से छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

...टेक्निकल हैरिटेज कमेटी ...लिए ऐतिहासिक शहर संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। ...के अलावा जीवित परम्पराओं और यहां की संस्कृति पर भी फोकस किया जा रहा है। ...सर्वे दक्षिण एशिया के किसी भी शहर के लिए ...हुआ है। यूनेस्को ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट की तारीफ की। इस सर्वे से देश के अन्य ऐतिहासिक शहरों को भी फायदा मिलेगा। सर्वे का पहला चरण जनवरी में पूरा हो जाएगा।

आर.के. विजयवर्गीय, चेयरपर्सन, टेक्निकल हैरिटेज कमेटी

विश्व धरोहर घोषित करने के समय प्रकाशित ख़बरें,जिन्हें पढ़कर हमें गर्व हुआ था|

जवाब मांगते सवाल?

1. जब यह ईमारत JAIPUR (WALLEDCITY) HERITAGE CONSERVATION AND PROTECTION REGULATIONS-2020 के तहत संरक्षित है तो उसके बावजूद इसके वजूद को कायम क्यों नहीं रखा जा रहा?
2. क्या भवन मालिकों द्वारा निगम की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी थी?
3. क्या यूनिस्को की कमिटी द्वारा इस कोठी के मूल स्वरुप का मूल फिंगरप्रिंट तैयार कर रखा है जिसके तहत इसकी बाहरी और आंतरिक साज सज्जा में परिवर्तन किया जायेगा?
4. कौन है इस बिल्डिंग का मालिक जो अपने रसुखातों के दम पर विश्व धरोहर से खिलवाड़ करने की जुर्रत कर रहा है?क्या है उसके राजनैतिक रसूखात?
5. आखिर क्यों इलाके के विधायक महोदय अपने कर्तव्यों को भूल कर अपने ही शहर की विरासत को उजाड़ने के लिए भूमाफियाओं का साथ दे रहे है?किसी विधायक का काम अपने शहर को संवारने का है या फिर उसे बर्बाद करने का?क्या स्थानीय जनता उन्हें उनके इस कृत्य के लिए आने वाले चुनावों में माफ़ कर देगी?
6. क्या इस कोठी में बनी अवैध ईमारत की सील खोलने वाले ज़ोन के तत्कालीन उपायुक्त श्री राम किशोर मीणा के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी?
7. पत्रिका की इस मुहीम के बाद क्या किशनपोल ज़ोन के उपायुक्त श्री सोहनलाल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे?
8. आखिर क्यों वह विश्व धरोहर को बिना इजाजत तोड़ने और नुकसान पहुचाने के क्रम में भवन के मालिकों के विरुद्ध स्थानीय थाने में मामला दर्ज नहीं करवा रहे है?
9. आखिर क्यों किशनपोल ज़ोन के उपायुक्त श्री सोहनलाल इस बिल्डिंग को पुनः सील नहीं कर,अवैध निर्माणकर्ताओं को मौका दे रहे है?
10. यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम विश्व धरोहर के खिताब को कायम रख पाएंगे?
11. किशनपोल ज़ोन क्षेत्र में और कितनी धरोहरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?
12. क्या इस शहर में अनिल पाराशर जैसा जुझारू इंसान और कोई नहीं है?क्या हम नागरिकों का कर्तव्य नहीं है कि विश्व धरोहर को बचाने के लिए अनिल पाराशर जैसे जागरूक नागरिकों का साथ देवें?याद रखें येरुशलम,रोम जैसे विश्व के पुराने शहर वहां के जागरूक नागरिकों की वजह से ही आज तक अपना वजूद कायम रख सके है अन्यथा यह शहर भी काबुल जैसे कभी के वीरान हो जाते|

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- ***www.jawabdosarkar.com*** *शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1,* ***सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड,जयपुर*** *अथवा ईमेल :-**jawabdosarkar01@gmail.com** अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*